न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0—— 303 / 2016
प्रविष्टि दिनांक ——23.09.2016

उनवान

~~1. मुबारक पुत्री श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक~~(मृतक)
1/1. अमीना बी पुत्री शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टों
1/2. अमीर पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
1/3. अजीज पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
1/4. अमीन पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
1/5. जब्बार पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
1/6 जाकिर पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
1/7. साकिर पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
2. खलील खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
3. जलील पुत्र मोहम्मद खां खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
4. सलीम खां पुत्र मोहम्मद खां खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
5. समद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
6. हामिद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
7. जाहिद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
8. आबिद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
9. शाहिद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
10. नूरबानो पुत्री अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
11. बून्दो पत्नि अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
12. शकील पुत्र जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
13. अकील पुत्र जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
14. अब्दुल कादिर पुत्र जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
15. सायरा बानों पुत्री जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
16. हाजरा बानों पुत्री जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
17. मन्जो बी पत्नि जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1. मो0 हुसेन पुत्र जकिया (पुत्री अब्दुल रजाक) जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
2. उमरदराज उर्फ मियां पुत्र रूस्तम खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
3. दिलावर खां रूस्तम खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
4. आमना बी पुत्री रूस्तम खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
5. बतूलबी पुत्री रूस्तम खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
6. रूखसाना पुत्री मो0 उमर खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
7. अफसाना पुत्री मो0 उमर खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
8. कदीर पुत्र मो0 उमर खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
9. अब्दुल पुत्र मो0 उमर खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
10. बिन्नो बी पत्नि मो0 उमर खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक
11. तहसीलदार टोंक तहसील टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री सीताराम विजय— अधिवक्ता वादीगण
श्री पवनकुमार जैन, जुबेर अहमद बसरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा बाबत उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक—01/03/2021

वादपत्र यह है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1321 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1322 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1323 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1324 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता—5, कुल रकबा 9

बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम अरनियाकेदार, पटवार हल्का अरनियांकेदार, तहसील टोंक में स्थित है। जिसमें हाल राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजो की खातेदारी में यानि अब्दुल मिराज खां व रूस्तम खां की खातेदारी मे अंकित भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वजों की सन्तान है, जिनका पारिवारिक शजरा वादपत्र के अनुसार है। शजरे के अनुसार उपरोक्त आराजीयात एवं नूर खां के तीन पुत्र अब्दुल रजाक, रूस्तम खां, मोहम्मद खां की छोडी हुई भूमि है, जिससे वादीगण का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा है, जिसको वादीगण अपने पूर्वजो के समय से लगातार काश्त करते चली आ रहे है, लेकिन उक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में सम्वत 2018–21 की जमाबन्दी मे दर्ज कर दी। इस कारण गत भू प्रबन्ध के समय उक्त भूमि को प्रतिवादीगण की खातेदारी मे तन्हां दर्ज कर दिया गया है, जबकि 1/3 हिस्से की भूमि को वादीगण ही काश्त करते आ रहे है। जिसमें प्रतिवादीगण ने कभी कोई मजाहमत नही की है। इस कारण वादीगण को उक्त त्रूटि का ज्ञान नहीं हो सका। त्रुटि का ज्ञान होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का 1/3 हिस्सा वादीगण की खातेदारी में दर्ज करवाने के लिए कहा तो इस पर वे इन्कार हो गये तथा वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार, काश्तकार मानने से मना किया। वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी। इस कारण यह घोषित किया जाना आवश्यक है कि वादीगण उपरोक्त भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, बे, दान या किसी भी तरह से हस्तान्तरण नहीं करे। वादीगण के कब्जे में मजाहमत नहीं करे अन्यथा वादीगण अपने जायज अधिकारों से वंचित हो जावेंगे, उन्हें अपार क्षति होगी। अतः निवेदन है कि दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् उद्घोषणा डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि वादीगण भूमि खसरा नं0 1321 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1322 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1323 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1324 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता–5, कुल रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम अरनियाकेदार, पटवार हल्का अरनियांकेदार, तहसील टोंक के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा सदा सर्वदा के लिये पाबन्द किया जावे कि वे उक्त भूमि में वादीगण के 1/3 हिस्से में किसी तरह की मजाहमत व मदाखलत नही करे।

वादीगण ने अपने वाद को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73, 2018–21, वाके ग्राम अरनियाकेदार,नकल सरकार परत दिनांक 7.12.15 ग्राम अरनियाकेदार, नकल नामान्तरकरण नं0 1418 ग्राम अरनियाकेदार, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2032–33, 2014–18, नकल खतौनी जमाबन्दी सेटलमेंट सं0 2028–47, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खसरा बन्दोबस्त हेदर साहब 1942, नकल फोटो कॉपी प्रार्थना पत्र तहसीलदार टोंक दिनांक 20.08.2015, व छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र जकिया व रजाक खान,आदि दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर,प्रतिवादीगण को तलब किया गया। कई अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब नही दिये जाने पर, न्यायाहित में जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या–2 ता 10 ने जरिये अभिभाषक इकबालिया जवाब दावा पेश कर दावा वादीगण मुताबिक अधियाचना के डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अधिकारी
(राज.)

वादी की ओर से साक्ष्य हेतु पीडब्ल्यू–1 खलील खां पुत्र श्री गोहम्मद खां, पीडब्ल्यू–2 अब्दुल कादिर खान पुत्र श्री जमील खां एंव पीडब्ल्यू–3 इकबाल पुत्र श्री युसूफ के शपथ पत्र पेश किये गये।

वकील वादीगण की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पुश्तेनी भूमि है। इकबालिया जावाब के अनुसार प्रतिपक्षीगण भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों से सहमत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के पूर्वजों से प्रतिवादीगण के नाम आयी है, स्वअंर्जित संपंति नहीं है। वादपत्र में उल्लेखित शजरे के अनुसार वादग्रस्त भूमि नूर खां के तीन पुत्र अब्दुल रजाक, रूस्तम खां, मोहम्मद खां की छोडी हुई भूमि है, जिससे वादीगण का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा है, लेकिन उक्त भूमि बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में सम्वत 2018–21 की जमाबन्दी में दर्ज कर दी। इस कारण गत भू प्रबन्ध के समय उक्त भूमि को प्रतिवादीगण की खातेदारी में तन्हां दर्ज कर दिया गया है, जबकि 1/3 हिस्से की भूमि को नियमानुसार वादीगण के नाम खातेदारी में आनी चाहिए थी, जिसके की वे अधिकारी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के वादीगण 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है।

आदेश

अतः वादगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1321 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1322 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1323 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1324 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता–5, कुल रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम अरनियाकेदार, तहसील व जिला टोंक (राज0) का वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करे।

यह निर्णय आज **दिनांक** 01/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

-1-

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुकाम टोंक व अजलास श्री नित्या के०, आई.ए.एस. द्वारा अध्यासित

उनवान

~~मुबारक पुत्री श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक(मृतक)~~

1 / 1 अमीना बी पुत्री शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा तहसील व जिला टों

1 / 2 अमीर पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक

1 / 3 अजीज पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक

1 / 4 अमीन पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक

1 / 5 जब्बार पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक

1 / 6 जाकिर पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक

1 / 7 साकिर पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक

8 खलील खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

9 जलील पुत्र मोहम्मद खां खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

10 सलीम खां पुत्र मोहम्मद खां खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

11 समद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

12 हामिद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

13 जाहिद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

14 आबिद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

15 शाहिद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

16 नूरबानो पुत्री अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

17 बुन्दो पत्नि अहमद खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

18 शकील पुत्र जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

19 अकील पुत्र जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

20 अब्दुल कादिर पुत्र जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

21 सायरा बानो पुत्री जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

22 हाजरा बानो पुत्री जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

23 मन्जो बी पत्नि जमील जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक — वादीगण

24

बनाम

1 मो0 हुसेन पुत्र जकिया (पुत्री अब्दुल रजाक) जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

2 उमरदराज उर्फ मियां पुत्र रूस्तम खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

3 दिलावर खां रूस्तम खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

4 आमना बी पुत्री रूस्तम खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

5 बतूलबी पुत्री रूस्तम खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

6 रूखसाना पुत्री मो0 उमर खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

7 अफसाना पुत्री मो0 उमर खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

8 कदीर पुत्र मो0 उमर खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

9 अब्दुल पुत्र मो0 उमर खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक

10 बिन्नो बी पत्नि मो0 उमर खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा, तहसील व जिला टोंक — प्रतिवादीगण

11 तहसीलदार टोंक तहसील टोंक

उपस्थित— श्री सीताराम विजय— अधिवक्ता वादीगण

श्री पवनकुमार जैन, जुबेर अहमद बरारी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा बाबत उदघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

वादपत्र सं0— 303 / 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

अतः वादगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1321 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1322 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1323 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1324 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता—5, कुल रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम अरनियाकेदार, तहसील व जिला टोंक (राज0) का वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करे।

बसख्त मेरे व मोहर अदालत के आज तारीख 1-3-2021 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के०)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तानामा वकील		
महन्तानामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		
मीजान					

नोट—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।